

राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/ 60

दिनांक : 26/02/2024

–: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

महात्मा गॉधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० लवेन्द्र सिंह	11.01.1995	23.12.2020	निश्चेतन	01.11.23 से 31.10.26
2	डॉ० अभिषेक जोशी	13.08.1993	21.12.2020	पीएसएम	26.10.23 से 25.10.26
3	डॉ० निखिल शर्मा	04.04.1997	07.01.2021	पीएसएम	26.10.23 से 25.10.26
4	डॉ० नवीन चौधरी	25.12.1995	18.12.2020	मेडिसिन	01.11.23 से 31.10.26
5	डॉ० आदित्य शाह	27.08.1995	23.12.2020	रेडियोडायग्नोसिस	01.11.23 से 31.10.26
6	डॉ० विकास कुमार	01.12.1992	26.12.2020	रेडियोडायग्नोसिस	01.11.23 से 31.10.26
7	डॉ० अंकिता कुमारी	20.04.1995	18.12.2020	नेत्र रोग	01.11.23 से 31.10.26

उपरोक्त सूची में महात्मा गॉधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर की तालिका में क्रम संख्या 01 से 07 पर अंकित चिकित्सा अधिकारियों का अध्ययन अवकाश अवधि का वेतन निदेशालय में स्वीकृत 2000 चिकित्सा अधिकारी (लीव रिसर्व) के पदों से, बजट हैड 2210-01-001-01-00 से आहरण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

साथ ही उक्त आदेश पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।

उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/ 60

दिनांक : 26/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
5775803

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation : Director  
Date : 26-02-2024 11:35:12